परिपत्र सं-06/2013

राजस्थान सरकार

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक :एफ.8/कम्प्यूटर/Times/2013/ 711 दिनांक : 01/05/2013

-:: परिपत्र ::-

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-6/निरी./मीटिंग/1578-90 दिनांक 20-10-2005 के अतिक्रम में राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु-2) विभाग पत्रांक प.3(39)प्र0सु0/अनु.2/97 दिनांक 28.04.2011 की पालना में विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे/रात्रि विश्राम **वर्षवार** निम्न प्रकार से निर्धारित किये जाते है :-

क्रसं	अधिकारी	कार्यालय	वर्ष के दौरान निरीक्षण		
			दौरे	निरीक्षण की सं0	रात्रि विश्राम
1	महानिरीक्षक	अतिरिक्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक/उप पंजीयक कार्यालय	22	30	22
2	अतिरिक्त महानिरीक्षक, जयपुर/ अजमेर	स्वयं का/उप महानिरीक्षक/ उप पंजीयक कार्यालय/ जिला कोषाधिकारी	45	60	45
3	अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर	स्वयं का/वृत्त के उप पंजीयक कार्यालय	-	60	-
4	उप महानिरीक्षक (समस्त)	स्वयं का/वृत्त के उप पंजीयक कार्यालय	45	60	45

विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे/रात्रि विश्राम **माहवार** निम्न प्रकार से निर्धारित किये जाते है :-

क्रसं	अधिकारी	कार्यालय	माह के दौरान निरीक्षण		
			दौरे	निरीक्षण की सं0	रात्रि विश्राम
1	महानिरीक्षक	अतिरिक्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक/उप पंजीयक कार्यालय	02	03	02
2	अतिरिक्त महानिरीक्षक, जयपुर/ अजमेर	स्वयं का/उप महानिरीक्षक/ उप पंजीयक कार्यालय/ जिला कोषाधिकारी	04	05	04
3	अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर	स्वयं का/वृत्त के उप पंजीयक कार्यालय	-	05	-
4	उप महानिरीक्षक (समस्त)	स्वयं का/वृत्त के उप पंजीयक कार्यालय	04	05	04

समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्धारित प्रावधान के अनुसार **माहवार** अपने दौरे, निरीक्षण करते हुए, कार्य सम्पन्न करके निरीक्षण रिपोर्ट Times Website पर अपलोड करें एवं उसकी एक प्रति विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

प्रशासनिक सुधार विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत 01 अप्रेल, 2013 से आपको आवंटित लक्ष्योंनुसार दौरे, निरीक्षण एवं रात्री विश्राम की फिडिंग Times Website पर करना अनिवार्य है। इस हेतु प्रत्येक माह की सूचना आगमी माह की 10 तारीख से पूर्व फिडिंग करना सुनिश्चित करें अन्यथा उक्त माह की सूचना शून्य होकर फ्रीज हो जायेगी, जिसमें बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में आपको दिनांक 26-4-2013 को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अतः इस कार्य को विशेष प्राथमिकता से कराना सुनिश्चित करावें।

"कर-भवन" द्वितीय तल, गोखले मार्ग, अजमेर-305001 (राज0)
Ph : 0145-2627590. 2425105, Fax : 0145-2431002, 2627750 E-mail : igrs@rajasthan.gov.in
Website: http://www.rajstamps.gov.in

राजस्थान सरकार

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर

अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर एवं समस्त उप महानिरीक्षक जब भी अपने वृत्त में उप पंजीयक कार्यालय के निरीक्षण के लिये जाये उस स्थान पर स्थित प्रमुख लोक कार्यालयों का निरीक्षण अवश्य करें एवं निरीक्षण की रिपोर्ट विभाग द्वारा पंजीयन मार्गदर्शिका, 2009 के परिपत्र संख्या 24/09 के साथ संलग्न प्रारुप में विभाग को भिजवाते हुए Times Website पर भी फीड करना सुनिश्चित करावें।

राज्य सरकार द्वारा वित्त विधेयक, 2013 में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-85 में संशोधन कर लोक कार्यालयों के निरीक्षण हेतु तहसीलदार स्तर तक के अधिकारी को अधिकृत कर दिया गया है। अतः समस्त उप पंजीयकों को निर्देश दिये जाते है कि लोक कार्यालयों के निरीक्षण के संबंध में विभाग के स्तर से जारी पूर्व परिपत्रों में दिये गये निर्देशों एवं पंजीयन मार्गदर्शिका, 2009 के परिपत्र 24/09 में दिये गये निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुये अपने क्षेत्र में स्थित प्रत्येक लोक कार्यालय का तीन माह में एक बार निरीक्षण अवश्य किया जायें एवं निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में विभाग को भिजवाना सुनिश्चित किया जायें।

उपरोक्त निर्देशों के अनुसार निरीक्षण में किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं बरती जावें। यदि आप द्वारा इसमें कोई लापरवाही बरती जाती है तो आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है, अतः सूचित रहें।

ह०

(राम खिलाडी मीणा)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक :एफ.8/कम्प्यूटर/Times/2013/712-1180 **दिनांक :** 01/05/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, वित (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
4. पंजीयक,राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक-डी, वित्त भवन, जयपुर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर / समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
9. समस्त उप पंजीयकगण राजस्थान।
10. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. उप निदेशक (कम्प्युटर), मुख्यालय, अजमेर को अधिसूचना की प्रति विभाग की बेवसाईट **www.rajstamps.gov.in** पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जाँच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

"कर-भवन" द्वितीय तल, गोखले मार्ग, अजमेर-305001 (राज०)
Ph : 0145-2627590. 2425105, Fax : 0145-2431002, 2627750 E-mail : igrs@rajasthan.gov.in
Website: http://www.rajstamps.gov.in